**Form No. III**

Qnl&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

**श्यामलाल** **बनाम** **शांतिलाल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना–पत्र** नं0 **050** सन् **2024**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.01.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी छोगालाल जाट हाजिर। अप्रार्थीगण की तलबी लौट कर प्राप्त नहीं। पूर्व में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से पत्रांक/ अभिलेखागार/ 2024/211 दिनांक 08.01.2025 से मूल अभिलेख प्राप्त हुई है जो की पत्रावली के हम किता हैं रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली के हम किता रहें। अप्रार्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आयें। हाजिर वकील प्रार्थी ने पूर्व में प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलाना चाहता है, अतः प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो पर सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण प्राथमिक स्तर पर ही विचाराधीन है, प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होना शेष है एवं प्रार्थी स्वयं अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलना चाहता है, एवं प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 171/1988 कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 में पारित आदेश दिनांक 23.04.1988 बाबत् प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में बिना किसी गुणावगुण के वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना–पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को मूल अभिलेख मय अहकाम की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>–ह0–<br>(आलोक रंजन)<br>जिला कलक्टर,<br>चित्तौड़गढ़<br>15.01.2025<br><br>सत्यमेव जयते<br>Web Copy - Not Official | |